नीति:		
समाधान चर्चा		
नीति संहिता:	प्रभावी दिनांक:	प्रति-निर्देश:
RES 1	जनवरी 15, 2021	ALT 1 APP 1 CHA 1 CHI 1 DAN 1 DIS 1 FIR 1 HAT 1 IMP 1 INF 1 IPV 1 SEN 1 VUL 1 WAI 1 WAI 1.1

कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि क्राउन काउंसल और बचाव पक्ष के बीच समाधान चर्चा न केवल सामान्य बात है, बल्कि "आवश्यक" भी हैं। इस तरह उचित ढंग से आयोजित की गई समाधान चर्चा ''प्रणाली को सुचारू ढंग और कुशलता से कार्य पूरा करने देती हैं।''[1]

सैद्धांतिक समाधान चर्चा का परिणाम अक्सर दोषी याचिका (जुर्म कबूल करना) होती है या तथ्य स्वीकार करना होता है, अन्यथा इसे क्राउन द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा। आरोपों के शीघ्र समाधान या मुद्दे कम करने से पीड़ितों और गवाहों का तनाव और असुविधा कम हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल न्याय-प्रणाली तैयार हो सकती है, जिसमें अनावश्यक सुनवाईयों को नज़रअंदाज़ किया जाता है और आवश्यक सुनवाईयां संक्षिप्त होती हैं, क्योंकि कार्यवाही उन तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर केंद्रित होती है, जो स्पष्ट रूप से विवादग्रस्त होते हैं।

जब भी संभव हो, क्राउन काउंसल को शीघ्र, सैद्धांतिक और सूचित समाधान चर्चा शुरू करनी चाहिए। ऐसा करते समय, क्राउन काउंसल को हमेशा जनहित, समाज की रक्षा करने में कार्य ज़रूर करना चाहिए, जबकि आपराधिक न्याय व्यवस्था में भी लोगों का विश्वास बढ़ाना चाहिए।

समाधान चर्चा में क्राउन काउंसल और बचाव पक्ष के वकील द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध लगाए गए आरोपों और उनके संभव निपटारे संबंधी सभी चर्चाएं शामिल हैं। उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं:

- आरोप कम करना या अपराध सम्मिलित करना
- *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* की धारा 606(4) द्वारा अधिकृत एक अलग अपराध के लिए दोषी याचिका स्वीकार करना
- आरोप वापिस लेने या अन्य आरोप जारी रखना
- आरोप संबंधी कार्यवाही न करने हेतु सहमत होना या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगे आरोपों पर स्टे लेने या वापिस लेने के लिए सहमत होना

1 *R. v Anthony-Cook*, 2016 SCC 43 अनुच्छेद 1 में

- एक से अधिक आरोपों को एक समुचित "व्यापक" आरोप तक कम करने के लिए सहमत होना
- कुछ मामलों में कार्यवाही वापिस लेने या स्टे के लिए कहने हेतु सहमत होना, भौतिक तथ्यों पर भरोसा करते हुए उन अन्य मामलों पर कार्यवाही करना, जो वापिस लिए गए या रोके गए मामलों के बारे में सज़ा देने के उद्देश्यों के लिए प्रेरक कारकों के तौर पर समर्थन करती है
- यदि रिकॉर्ड पर है, तो भविष्य की एक निर्दिष्ट तिथि पर मामला निपटाने के लिए सहमत होना, अभियुक्त उचित समय के भीतर सुनवाई का अधिकार छोड़ देता है
- छूट संबंधी नीति के अनुसार आरोप त्यागने के लिए सहमत होना *प्रांत के भीतर आपराधिक आरोपों की छूट (Waiver of Criminal Charges Within Province*) (WAI 1), *प्रांतों के बीच आपराधिक आरोपों की छूट (Waiver of Criminal Charges Between Provinces*) (WAI 1.1))
- एक नियत सज़ा देने की स्थिति लेने हेतु सहमत होना

समाधान चर्चा का प्रबंध करते समय क्राउन काउंसल को यह ज़रूर करना चाहिए:

- *आरोप निर्धारण दिशानिर्देश (Charge Assessment Guidelines)* (CHA 1) नीति लागू करना, और केवल वही दोषी याचिका स्वीकार करना, यदि उस नीति में दिए गए मानक हमेशा पूरे किए जाते हैं,
- *ख़ुलासे (Disclosure)*(DIS 1) संबंधी नीति अनुसार, अभियुक्त को पूरा ख़ुलासा करना, जो कि कार्यवाही के पड़ाव के लिए उपयुक्त है
- अन्य BC अभियोजन सेवा नीतियां लागू करना, जिनका समाधान चर्चा पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है (जैसे, *अभियोजन के विकल्प – वयस्क (Alternatives to Prosecutions – Adults)* (ALT 1), *बाल पीड़ित और गवाह (Child Victims and Witnesses)* (CHI 1), *ख़तरनाक अपराधी और पक्के अपराधी (Dangerous Offenders and Long-Term Offenders)* (DAN 1), *आग्नेय-शस्त्र (Firearms)* (FIR 1), *लापरवाह ड्राइविंग संबंधी अभियोजन (Impaired Driving Prosecutions)* (IMP 1), *अंतरंग साथी के विरूद्ध हिंसा (Intimate Partner Violence)* (IPV 1), *सज़ा देना – वयस्क (Sentencing – Adults)* (SEN 1), *कमज़ोर पीड़ित और गवाह (Vulnerable Victims and Witnesses)* (VUL 1))
- सुनिश्चित करना कि कोई भी आरोप, जिसके लिए अभियुक्त उचित ढंग से अपना जुर्म कबूल करता है, जो अभियुक्त के संभव आपराधिक आचरण को दर्शाता है और इससे सज़ा की उपयुक्त श्रेणी तय की जा सकती है।
- सटीक अवधि या सज़ा का रूप या मौद्रिक जुर्माने की राशि के तौर पर केवल एक साझा निवेदन पेश करना, यदि क्राउन काउंसल संतुष्ट है कि साझा निवेदन जनहित में उपयुक्त है, तो इससे न्याय व्यवस्था का अपयश नहीं होगा और इसके लिए सैद्धांतिक कानूनी आधार फ़ाइल में दर्ज किए जाते हैं
- कोई भी ऐसा समझौता करने से बचना चाहिए, जो अपील के बारे में अटॉर्नी जनरल के विवेक को बाधित करता हो, जब तक कि ऐसे समझौते के लिए सहायक डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पहले से लिखित स्वीकृति प्राप्त न की गई हो (क्राउन द्वारा *अपील संबंधी अदालत और कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की गई अपीलें (Appeals by Crown to the Court of Appeal and Supreme Court of Canada* (APP 1))
- संभावित या वास्तविक समाधान संबंधी बचाव पक्ष के वकील के साथ हुई कोई भी मौलिक चर्चा फ़ाइल में दर्ज करना

समाधान चर्चा शुरू करने से पहले, क्राउन काउंसल को चाहिए, कि:

- यदि सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी माना गया था, तो निर्णय करना कि कानूनी रूप से उचित सज़ा की सीमा क्या होगी
- स्वीकार करना कि जुर्म कबूल करना, सज़ा कम किए जाने का एक कारक है और अभियुक्त द्वारा शुरू में ही जुर्म कबूल करने पर सज़ा कम किए जाने का पूरा लाभ मिलता है
- स्वीकार करना कि सुनवाई की तिथि तय होने के बाद, यदि सिद्ध करने योग्य तथ्यों में काफ़ी हद तक परिवर्तन नहीं हुआ, तो दोषी याचिका अस्वीकार होने से इसका असर कम हो जाता है
- निर्दिष्ट सज़ा में दोषी द्वारा अपना जुर्म कबूल करने से सज़ा में कमी हो सकती है, क्योंकि जैसे-जैसे मुकदमे या सुनवाई की तिथि नज़दीक आती है, गवाहों और पीड़ितों पर दबाव बढ़ता जाता है और कानूनी तौर पर उपयुक्त सज़ा की सीमा, सुनवाई के बाद की सीमा के और नज़दीक पहुंच जाती है
- जहां उपयुक्त हो, *अधिकारों तथा स्वतंत्रता का चार्टर (Charter of Rights and Freedoms)* की धारा 11(b) और समयावधि का ध्यान रखें कि मामले में सुनवाई की प्रतीक्षा हो रही है

सज़ा सुनाते समय, क्राउन काउंसल को:

- सुनिश्चित करना चाहिए कि जुर्म कबूल करने से जुड़ी शर्तें पूरी की गई हैं और अदालत *अधिकारों तथा स्वतंत्रता का चार्टर (Charter of Rights and Freedoms)* की धारा 606(1.1) में दी गईं शर्तों से संतुष्ट है:
  - अभियुक्त स्वेच्छा से याचिका दे रहा है
  - अभियुक्त समझता है कि याचिका अपराध, याचिका की प्रकृति और परिणामों के आवश्यक तत्वों की स्वीकृति है, और यह कि अदालत, अभियुक्त और अभियोजक के बीच में हुए किसी भी समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है
  - तथ्य आरोप का समर्थन करते हैं [2]
- अदालत को सारी प्रासंगिक जानकारी के बारे में सलाह देना, इसमें कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड, सहमति वाले तथ्य और गंभीर परिस्थितियां (जैसे हथियारों का उपयोग) शामिल होती हैं कि क्राउन इसे सिद्ध करने में सक्षम है
- अदालत के लिए कानूनी तौर पर उपयुक्त सज़ा की सीमा की पहचान करना और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, उस सीमा के भीतर सिफ़ारिश करना, प्रासंगिक तौर पर सज़ा बढ़ाने और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखना

मूल व्यक्ति

कई सरकारी आयोगों और रिपोर्टों के साथ ही कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में यह बात मानी गई है कि मूल व्यक्तियों (फ़र्स्ट नेशन, मैटिस और इन्यूट) द्वारा बर्दाश्त किए गए भेदभाव, चाहे वे स्पष्ट तौर पर नस्लवादी दृष्टिकोण या सांस्कृतिक तौर पर अनुचित प्रथाओं के कारण हुए हों, जबकि आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी भागों में भी इनका विस्तार हुआ है।

संसद ने एक विकसित सामाजिक आम राय को मान्यता दी है कि मूल लोगों पर प्रभाव डालने वाले विलक्षण और पृष्ठभूमि–

2 *R. v Gates*, 2010 BCCA 378 अनुच्छेद 21 में

कारकों के साथ ही उनके मौलिक रूप से भिन्न सांस्कृतिक मूल्यों और विश्व-विचारों को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का समाधान ज़रूर किया जाना चाहिए।[3]

कनाडा में उपनिवेशवाद, विस्थापन और आवासीय विद्यालयों के इतिहास ने निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, कम आय, उच्च बेरोज़गारी, मादक द्रव्यों के सेवन और आत्महत्या की उच्च दर और मूल व्यक्तियों की कैद के उच्च स्तर को दर्शाया है।[4] मूल व्यक्तियों की उत्पीड़न दर, विशेष तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों की उत्पीड़न दर भी ग़ैर- मूल व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अधिक है।[5]

सज़ा देने कि स्थिति तैयार करते समय, क्राउन काउंसल को “हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर मूल लोगों के विरुद्ध व्यापक नस्लवाद के हानिकारक प्रभावों के बारे में विचार करना चाहिए”।[6]

जैसा कि CHA 1 में उल्लिखित है, आरोप निर्धारण संबंधी प्रक्रिया के शुरूआती पड़ाव में क्राउन काउंसल को यह निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या अभियुक्त या पीड़ित की पहचान एक मूल व्यक्ति के तौर पर हुई है और, इसलिए, क्या विशेष तौर पर मूल लोगों के लिए जनहित संबंधी विचार लागू होते हैं। यह निर्धारण करने के लिए क्राउन काउंसल को, क्राउन काउंसल की रिपोर्ट में शामिल किसी भी जानकारी का हवाला देना चाहिए या अन्यथा उनके लिए आसानी से उपलब्ध है।

मूल अभियुक्त

समाधान चर्चा में शामिल होते हुए और एक मूल अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में सज़ा की स्थिति तैयार करते समय, क्राउन काउंसल को निम्न बिंदूओं पर ज़रूर विचार करना चाहिए:

- *R. v. Gladue*[7] में स्थापित सिद्धांत
- किसी भी उपलब्ध गलैड्यू रिपोर्ट की सामग्री या संबंधित जानकारी या विलक्षण या प्रणालीगत पृष्ठभूमि संबंधी कारकों संबंधी सबूत, जो मूल अभियुक्त व्यक्ति को अदालत के सामने लाने में भूमिका निभा सकते हैं
- इन कारकों के प्रभाव के साथ ही औपनिवेशिक इतिहास के निरंतर परिणामों का आपराधिक न्याय-प्रणाली के साथ मूल अभियुक्त व्यक्ति की चल रही बातचीत पर भी असर पड़ेगा

मूल पीड़ित

पीड़ितों के तौर पर मूल व्यक्तियों को शामिल करने वाले मामलों के लिए, क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सज़ा की स्थिति, हमारे समाज में मूल व्यक्तियों, विशेष तौर पर मूल महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा की समस्या की गंभीरता को दर्शाती है और उन्हें गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ा है।[8] क्राउन काउंसल को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे मामलों में, जिनमें एक व्यक्ति का दुर्व्यवहार शामिल है, जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण संवेदनशील है, क्योंकि इसमें मूल महिलाएं शामिल हैं, *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* की धारा 718.04 अपेक्षा रखती है कि अदालत को आचरण की निंदा और रोक लगाने के उद्देश्यों पर पहले ही ज़रूर विचार करना चाहिए, जो कि अपराध का आधार बनते हैं।

एक अंतरंग साथी के विरूद्ध दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों के लिए, पीड़ित महिलाओं की बढ़ी हुई संवेदनशीलता पर विचार

---

3 *Ewert v Canada* 2018 SCC 30 अनुच्छेद 57 और 58 में; *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198-200 में

4 *R v Ipeelee*, 2012 SCC 13

5 *कनाडा में मूल लोगों का उत्पीड़न, 2014*, सांख्यिकी कनाडा, 2016

6 *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 199 में

7 [1999] 1 S.C.R. 688

8 *R v Barton*, 2019 SCC 33 अनुच्छेद 198 में

करने हेतु, मूल महिला पीड़ितों *अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा* (*Intimate Partner Violence* (IPV 1)) की परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देते समय सज़ा दिए जाने पर विचार करने के लिए *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* की धारा 718.201 को भी अदालत की आवश्यकता पड़ती है।

इसके अलावा, इस बात का सबूत है कि धारा 718.2(a)(i) में निर्धारित किए गए अनुसार यह अपराध पीड़ित के विरूद्ध तरफ़दारी, पूर्वाग्रह या घृणा से प्रेरित था, इसलिए क्राउन काउंसल को *घृणा अपराधों (Hate Crimes)* (HAT 1) का हवाला देना चाहिए और सभी प्रासंगिक भड़काऊ परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।

पीड़ितों और पुलिस के लिए जानकारी

कनाडा के पीड़ितों के अधिकारों संबंधी बिल (Canadian Victims Bill of Rights)) की धारा 14 और 19(1) और *आपराधिक संहिता (Criminal Code)* की धारा 606(4.1) से 606(4.4) के अंतर्गत, प्रत्येक पीड़ित को आपराधिक न्याय-प्रणाली में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए उन निर्णयों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, जो कानून के अंतर्गत पीड़ित के अधिकारों पर असर डालते हैं और कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए तंत्र के माध्यम से उसके विचारों पर ध्यान जाए।

गंभीर चोट या गंभीर मनोवैज्ञानिक क्षति से जुड़े मामलों में, समाधान चर्चा समाप्त करने, आरोप वापिस लेने या कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश देने से पहले, क्राउन काउंसल को पीड़ित या पीड़ित के प्रतिनिधि और पुलिस या प्रस्तावित समाधान करने वाली अन्य जांच एजेंसी को सूचित करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए और उन्हें अपनी कोई भी चिंता, जो उनकी हो सकती हैं, व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यदि वे प्रस्तावित समाधान के बारे में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त करते हैं या इनकी समीक्षा कराना चाहते हैं, तो क्राउन काउंसल को क्षेत्रीय क्राउन काउंसल, निदेशक या उनके संबंधित डिप्टी से परामर्श करना चाहिए और वह परामर्श होने तक समाधान चर्चा समाप्त नहीं करनी चाहिए, आरोप वापिस नहीं लेने चाहिए या कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

नीचे सूचीबद्ध मामलों के लिए, क्राउन काउंसल को कोई भी समाधान चर्चा समाप्त करने, आरोप वापिस लेने या कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी निर्देश देने से पहले, क्षेत्रीय क्राउन काउंसल, निदेशक या उनके संबंधित डिप्टी से परामर्श करना चाहिए:

- जब आरोप में दोष लगाया जाता है कि अभियुक्त मौत के लिए ज़िम्मेदार है
- न्याय-व्यवस्था के संबंध में किसी भी गंभीर आरोप, जिसके बारे में महत्वपूर्ण जनहित चिंता रही है या इसके होने की संभावना है, के लिए

क्राउन काउंसल को पीड़ित, पीड़ित के परिवार या पुलिस या अन्य जांच एजेंसी द्वारा व्यक्त की गई किसी भी चिंता के बारे में विचार करना चाहिए, जबकि इस नीति के अनुसार उपयुक्त आरोप या निपटारे संबंधी अंतिम निर्णय BC अभियोजन सेवा का होता है।

दर्ज किए गए निर्णय

कार्यवाही पर रोक लगाने या की गई बातचीत के समाधान पर सहमति का निर्णय लेते समय अभियोजन पक्ष अपने विवेक का उपयोग करता है। ऐसे निर्णयों के लिए दिए गए कारण क्राउन फ़ाइल में ज़रूर दर्ज किए जाने चाहिए, जबकि क्राउन काउंसल को नीति अनुसार *तृतीय पक्षों द्वारा मांगी गई जानकारी (Requests from Third Parties)*(INF 1) को छोड़कर BC अभियोजन सेवा के बाहर किसी के लिए भी ऐसे कारणों का ख़ुलासा नहीं करना चाहिए।

बिना शर्त इनकार

संपन्न हुए समाधान संबंधी किसी भी समझौते से बिना शर्त इनकार करना, बहुत ही दुर्लभ मामला होगा। केवल उस मामले में बिना शर्त इनकार के बारे में विचार करना चाहिए, जहां क्षेत्रीय क्राउन काउंसल या निदेशक और सहायक डिप्टी अटॉर्नी जनरल संतुष्ट हों कि इस समाधान संबंधी समझौते से न्याय-व्यवस्था का अपयश होगा। यदि वह टैस्ट पूरा होता है, तो बिना शर्त इनकार करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभियुक्त को किस हद तक उसकी मूल स्थिति में बहाल रखा जा सकता है। क्या बिना शर्त इनकार करने संबंधी तथ्य से न्याय-व्यवस्था का अपयश हो सकता है और क्या प्रक्रिया के दुरुपयोग के अदालती निष्कर्ष के लिए यह एक वास्तविक संभावना है।

बिना प्रतिनिधित्व वाले अभियुक्त

क्राउन काउंसल को बिना प्रतिनिधित्व वाले अभियुक्त के साथ समाधान चर्चा करने में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा करने से पहले क्राउन काउंसल को किसी भी समाधान संबंधी चर्चा में मदद करने के लिए अभियुक्त को वकील की सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि यदि अभियुक्त वकील की सलाह लेने से मना करता है और समाधान चर्चा करना चाहता है, तो क्राउन काउंसल को, जब तक कि चर्चा उचित ढंग से नहीं की जा सकती, चर्चा के दौरान मौजूद रहने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का प्रबंध करना चाहिए या लिखित रूप में चर्चा करनी चाहिए। क्राउन काउंसल को चर्चा का रिकॉर्ड फ़ाइल में रखे जाने को भी सुनिश्चित करना चाहिए।